an>

Title: Election of 20 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालय नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2015 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, twenty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2015 and ending on the 30th April, 2016. "

The motion was adopted.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2015 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate ten members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st May, 2015 and ending on the 30th April, 2016 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. "

The motion was adopted.